



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-27122023-250916
CG-CG-E-27122023-250916

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5230]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 2023/पौष 5, 1945

No. 5230]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 2023/PAUSHA 5, 1945

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे)

अधिसूचना

बिलासपूर, 11 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5461(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत का राजपत्र, असाधारण भाग (II)] खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 15 सितम्बर, 2023 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांख का. आ. 4218 (अ) तारीख 25 सितम्बर, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमिको, महाराष्ट्र राज्य केंनागपूर, भंडारा, चंद्रपूर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् नागभिड-नागपूर ब्रॉड गेज परियोजना (106 कि.मी.) (उमरेड डब्लू. सी. एल. कनेक्टिंग लाईन के साथ) विद्युतीकरण के साथ प्रस्तावित गेज रुपांतर (बीजी) करने के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐंसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचारपत्रों अर्थात् "दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स" में तारीख 13 अक्टूबर, 2023 और "दैनिक मंजूर" में तारीख 13 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित किया गया था।

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गये हैं।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20(ड:) की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ड:) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस से उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20(ड:) की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में अत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपूर जिले में तालुका कुही और उमरेड अंतर्गत निचे दिये गये गाव के लिए, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरेड, जिला नागपूर के अधीन विशेष रेल परियोजना अर्थात् नागभिड-नागपूर ब्रॉड गेज परियोजना (106 कि.मी.) (उमरेड डब्लू. सी. एल. कनेक्टिंग लाईन के साथ) विद्युतीकरण के साथ प्रस्तावित गेज रूपांतर (बीजी) करने के लिए अर्जित की जानेवाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	जिले का नाम	तहसिल का नाम	गाव का नाम	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्व्हे.नं.	भूधारणा पध्दतो	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे. आर)	संपादन क्षेत्र (हे. आर)
1	04/अ-65/2 023-2024	नागपूर	कुही	आकोली	इंदुबाई सुरेशराव दासरवार	22/2	1	1.44	0.3800
							कुल	1.44	0.3800
1	05/अ-65/2 023-2024	नागपूर	उमरेड	उमरेड	प्रदीप पंढरी झलके	123/1	1	1.43	0.0140
2					वासुदेव बळीराम रोहनकर, गुरुदेव बळीराम रोहनकर, ज्ञानदेव बळीराम रोहनकर	124/1	1	1.22	0.1190
3					विलास बळीराम देशमुख, विवके बळीराम देशमुख	124/2	1	0.40	0.0670
4					पांडूरंग मारोती वाघमारे एवं अन्य	205	1	2.01	0.5900
							कुल	5.06	0.7900

[फा. सं. सीएओ/सी/बीएसपी/एम.आर.आई.डी.सी.एल./नागपूर-नागभिड/नागपूर जिला/20ड]

आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 11th December, 2023

S.O. 5461(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 4218 (E) dated the 15th September, 2023 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 25th September, 2023 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20 A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and Railways (Amendment) Act 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Nagbhir - Nagpur Gauge Conversion Project (106 Km)

(including proposed rail connectivity from Umrer BG Yard to existing WCL Yard at Umrer) with electrification in the District of Nagpur, Bhandara, Chandrapur in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Dainik Maharashtra Times” Dated 13th October, 2023 and “DainikManjur” Dated 13th October, 2023 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section 20 E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette; the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project namely, Nagbhir - Nagpur Gauge Conversion Project (106 Km) (including proposed rail connectivity from Umrer BG Yard to existing WCL Yard at Umrer) with electrification in following villages in Kuni & Umred Taluka, District Nagpur under Competent Authority for Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Umred, District Nagpur in the State of Maharashtra.

Sr. No.	Land Acquisition Case No.	Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Name of Land owner	Survey Number	Land holding method	Total area as per 7/12 (H.R.)	Acquisition Area in (H.R)
1	04/A-65/2023-2024	Nagpur	Kuhi	Akoli	Indubai Sureshrao Dasrwar	22/2	1	1.44	0.3800
						Total :-		1.44	0.3800
1	05/A-65/2023-2024	Nagpur	Umred	Umred	Pradip Pandari Zalke	123/1	1	1.43	0.0140
2					Vasudev Baliram Rohankar, Gurudev Baliram Rohankar, Gnyandev Baliram Rohankar	124/1	1	1.22	0.1190
3					Vilas Baliram Deshmukh, Vivek Baliram Deshmukh	124/2	1	0.40	0.0670
4					Pandurang Maroti Waghmare & Others	205	1	2.01	0.5900
						Total :-		5.06	0.7900

[F. No. CAO/C/BSP/MRIDCL/NGP-NAB/Nagpur Dist/20E]

ALOK TIWARI, Chief Administrative Officer (Con)